अधिवक्ता का ...

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

दिनांक 26.11.2021

प्रार्थी / अधिवक्ता द्वारा अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 188 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 राजस्व वाद प्रस्तुत किया गया है। जिस पर राजस्व लिपिक द्वारा जॉच रिपोर्ट ली जाकर वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वादीगण रजिस्टर्ड ए.डी. डाक से सशुल्क तलवाना नोटिस अन्दर सात दिवस में पेश करें, अदम अनुपालना आदेश (प्रार्थी / अधिवक्ता द्वारा रजिस्टर्ड ए.डी. डाक से सशुल्क तलवाना पेश नही करने के संबंध में विधिपूर्वक समुचित कारण सहित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने एवं तत्पश्चात् पीठासीन अधिकारी द्वारा अनुज्ञेय अवधि हेतु शिथिलता दिये जाने की अवधि को छोड़ते हुये) दर्ज प्रार्थना पत्र काबिले खारिज होगा। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड ए. डी. डाक से सशुल्क तलवाना नोटिस जारी होकर पत्रावली अज अदालतेमाल के समक्ष वकालतान् / असालतन पक्ष रखने हेतु आगामी तारीख पेशी दिनांक 14.01.2022 को पेश हो।

उपखण्ड़ाधिकारी
मण्ड़ाबर (अलवर) राज०

२५/१२/२१ आज यह पत्रावली वादिया मय वकील वादी के पत्रावली दर्ज आज तलब कर विड्रा कर खारिज किये जाने निवेदन के साथ पेश हुई। प्रार्थना पत्र पर सुना गया। दर्ज स्वीकार की जाती है। शामिल पत्रावली हो। [illegible] की आगामी कार्यवाही इसी [illegible] वादिया के प्रार्थना पत्र [illegible] में खारिज की जाती है। फैसला शुमार हो। नम्बर से कम हो। सुनाया गया।

उपखण्ड़ाधिकारी
मण्ड़ाबर (अलवर) राज०

मैं मेरा दावा नहीं चलाना चाहती
रितु

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.11.11 15:15:27 IST
Reason: SelfAttested